

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक: 09.02.2026

समाचार पत्र दैनिक भास्कर, अजमेर, में दिनांक 08.02.2026 को प्रकाशित सूचना के संबंध में

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों हेतु विज्ञापन संख्या 04/EXAM/V.O./RPSC/EP-I/2025-26 दिनांक 17.07.2025 को जारी किया जाकर दिनांक 05.08.2025 से 03.09.2025 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। आयोग द्वारा जारी कलेण्डर के अनुसार उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 19.04.2026 को किया जाना निर्धारित है।

उक्त भर्ती के संबंध में "न्यूनतम उत्तीर्णांक को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस व्याप्त" नामक शीर्षक से सामाचार पत्र दैनिक भास्कर, अजमेर में दिनांक 08.02.2026 को प्रकाशित खबर के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 के दिनांक 23.05.2022 को संशोधित नियम '19' के क्रम में परीक्षा की स्कीम को साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा किया गया है। उक्त संशोधित सेवा नियमों में न्यूनतम प्राप्तांक के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं है।

उक्त विज्ञापन के बिन्दु Scheme of Examination में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

"Scheme of Examination

S. No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
Part-A	General Knowledge of Rajasthan	40	40	2 Hours & 30 Minutes
Part-B	Concerned Subject	110	110	
	Total	150	150	

Note: -*The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

- 1.The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: - Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers."

सोशल मीडिया पर पशु चिकित्सा अधिकारी, 2025 के संदर्भ में प्रदर्शित अपील निर्णय क्रमांक एफ.23(163) ऑनलाईन/प्रथम अपील/सूचना/25-26/187 दिनांक 15.11.2025 पूर्णतया फर्जी है, जिसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव